महत्वपूर्ण

संख्या– 865 /आठ–1–23–864/2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 29 सितम्बर, 2023**

विषयः–स्वच्छता ही सेवा पखवाडे के अन्तर्गत 01 अक्टूबर, 2023 को "01 घण्टे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें" कार्यकम के प्रभावी कियान्वयन हेतु।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्वच्छ शहर और गॉव बनाने हेतु सार्वजनिक कार्यो को प्रेरित करने के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 01 अक्टूबर, 2023 को सुबह 10.00 बजे सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के 01 घण्टे के श्रमदान का आह्वान किया गया है, जो बापू जी के लिए उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर एक 'स्वच्छांजलि' होगी। इस स्वच्छता अभियान का मुख्य फोकस कूड़ा–करकट वाले संवेदनशील क्षेत्रों और अधिक आवागमन वाले स्थानों पर वास्तविक रूप से सफाई गतिविधियों को करने पर होगा, ताकि उसके बाद गांव–शहर स्वच्छ दिखें।

2– उपर्युक्त प्रकरण में आज दिनांक 29.09.2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैः–

(1) दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को "01 घण्टे का स्वच्छता के लिए श्रमदान करें" कार्यकम का आयोजन किया जाय।
(2) उपर्युक्त कार्यकम हेतु स्थलों का चयन किया जाय।
(3) ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर नागरिकों को श्रमदान के लिए आह्वान किया जाय।
(4) कार्यकम का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा स्वच्छता ही सेवा पोर्टल (https://swachhatahiseva.com/) पर अपलोड किया जाय।

(5) "हमारी कालोनी स्वच्छ कालोनी" अभियान सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद की कालोनियों में चलायी जाय।
(6) सफाई अभियान इस प्रकार हो कि पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा दिखाई दे।
(7) पार्क/खाली प्लाट/मण्डी/बाजार/सरकारी कार्यालय/पर्यटक स्थल पर '01 घण्टा 01 तारीख' कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया जाय।
(8) सफाई के उपरांत एकत्रित कूड़े के सफल निस्तारण हेतु आवश्यक परिवहन की व्यवस्था की जाय व किसी भी स्थान पर पुनः कूड़े को एकत्र न होने दिया जाय।
(9) सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के खिलाफ अभियान चलाया जाय।
(10) सामुदायिक शौचालय में साफ–सफाई का विशेष ध्यान दिया जाय।
(11) स्कूल/कॉलेज आदि स्थानों पर साफ–सफाई अभियान चलाया जाय।
(12) होर्डिंग्स/पोस्टर/वॉल पेंटिग, ट्विटर/सोशल मिडिया आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाय।
(13) सफाई कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाय तथा इन्हें न्यूनतम मानदेय दिया जाय।
(14) स्वच्छता के लिए सभी कालोनियों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय। नोडल अधिकारियों का नाम एवं मोबाईल नम्बर प्रदर्शित किया जाय।
(15) 15 अक्टूबर, 2023 से नवरात्रि प्रारम्भ हो रही है तथा 24 अक्टूबर, 2023 को दशहरा है। अतः इस अवधि में भी साफ–सफाई हेतु विशेष प्रयास किए जाय।
(16) मूर्ति विसर्जन के समय सफाई का ध्यान रखा जाय।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या निदेशक आवास बन्धु एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि सभी अभिकरणों से सूचना एकत्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।